an>

Title: Need to handover the ownership and management of Mahabodhi Mahavihar in Bodhgaya, Bihar to Buddhists.

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : देश में बोध गया के महाबोधि महाविहार का स्वामित्व प्रबंधन एवं संचालन भारतीय बौद्धो के द्वारा नहीं कराया जा रहा है। महाबोधि महाविहार का स्वामित्व प्रबंधन एवं संचालन का कार्य बोधगया मंदिर प्रबंधन बिहार सरकार द्वारा पारित अधिनियम 1949 के आधार पर किया जा रहा है। इस अधिनियम के अनुसार नियुक्ति समिति में महाबोधि प्रबंधन हेतु 3-3 वर्षों के लिए 4 हिंदू एवं 4 बौद्ध सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जिसका अध्यक्ष गया का जिलाधिकारी नियुक्त होता है और सचिव हिंदू सदस्यों में से ही नियुक्त होता है। इस अधिनियम से 60 वर्षों से बौद्धों के मौलिक अधिकार का हनन होकर भारतीय संविधान की समतामूलक भावना आहत हो रही है। भारतीय संविधान की धारा 25 और 26 के आधार पर बौद्धगया के महाबोधि महाविहार (बोध गया मंदिर) का पूर्ण प्रबंधन संचालन एवं स्वामित्व बौद्धों को प्रत्यार्पित करने के लिए केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार का बोध गया मन्दिर प्रबंधन 1949 अधिनियम को रद्द करके महाबोधि महाविहार का पूर्ण प्रबंधन बौद्धों को सौंपने की आवश्यकता है। इस लंबित मांग के संबंध में अखिल भारतीय बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति कई वर्षों से देश में आंदोलन कर रही है और अभी अप्रैल 2015 में जंतर-मंतर पर विशाल धरना आयोजित करके आंदोलन किया है। इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार द्वारा आंदोलन समिति की माँग को मंजूर करके इस पर शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता है।